

कार्यालय आवकारी आयुक्त, राजस्थान,

आवकारी भवन, 2, गुमानियावाला पंचवटी, उदयपुर - 313001

क्रमांक प.32(बी)(1)आब/एल/2018-19/ 951

दिनांक : 05.04.2018
6

-: अधिसूचना :-

देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के थोक विक्रय मूल्य का दिनांक 06.04.2018 से निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र.सं.	मदिरा की किस्म	पैकेज (रु. प्रति पेटी)	अवधि (रु. प्रति पेटी)	परिवर्त (रु. प्रति पेटी)
1	40 यू.पी. (कॉच) शोधित प्रासव आधारित	425.00	435.00	445.00
2	40 यू.पी. (पेट) शोधित प्रासव आधारित	395.00	405.00	415.00
3	50 यू.पी. (कॉच/पेट) शोधित प्रासव आधारित	375.00	385.00	395.00

आवकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बी)(1)आब/एल/2018-19/ 951

दिनांक 05.04.2018
6

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आवकारी) विभाग, राजस्थान, उदयपुर का उपांक प.32 दिनांक 05.04.2018 के क्रम में।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 05.04.2018 के क्रम में।
3. अतिरिक्त आवकारी आयुक्त, जोन समस्त।
4. जिला आवकारी अधिकारी समस्त (अभियोजन सहित)
5. समस्त यूनिट प्रभारी अधिकारी, मदिरालय, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.।
6. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उदयपुर।

आवकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
आबकारी भवन, 2, गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर - 313001

क्रमांक प.32(बी)(1)आब/एल/2018-19/ 949

दिनांक 6.04.2018

अधिसूचना :-

देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विर्क्य मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा की निम्नांकित किस्म का थोक विक्रय मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क.स.	विवरण/किस्म मदिरा	थोक आपूर्ति निर्गम मूल्य	
		रु. प्रति केस	रु. प्रति बोतल
1	देशी मदिरा "कॅसरे कस्तूरी" 5 यू.पी.	2160/-	180/-

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बी)(1)आब/एल/2018-19/ 949

दिनांक 6.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन समस्त ।
5. जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन सहित) समस्त ।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 4 (ग) के उपखण्ड (1) में मुद्रित करवाकर 15 प्रति मय बिल इस कार्यालय को भिजवाये ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आवकारी आयुक्त, राजस्थान,
आवकारी भवन, 2, युगानियावाला, पंचवटी, उदयपुर - 313001

क्रमांक प.32(बी)(1)आव/एल/2018-19/ 950

दिनांक : 6.04.2018

—: अधिसूचना :-

देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/दोहर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत देशी मदिरा की निम्न किस्म का न्यूनतम विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क.स.	विवरण/किस्म मदिरा	प्रति बोतल (750 मिलीलीटर धारिता) का न्यूनतम विक्रय मूल्य रूपये में
1	देशी मदिरा "कंसर कस्तूरी" 5 यू.पी.	344/-

आवकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बी)(1)आव/एल/2018-19/ 950

दिनांक : 6.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आवकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त आवकारी आयुक्त, जोन समस्त ।
5. जिला आवकारी अधिकारी (अभियोजन सहित) समस्त ।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 4 (ग) के उपखण्ड (1) में मुद्रित करवाकर 15 प्रति मय विल इस कार्यालय को भिजवाये।
7. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय।

आवकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
आबकारी मदन, 2, गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर - 313001

क्रमांक प.32(बो)(1)आब/एल/2018-19/ 958

दिनांक : 6.04.2018

-: अधिसूचना :-

देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत देशी मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क.स.	विवरण/किस्म मदिरा	पब्ला(180 मिली लीटर का मूल्य)	
		ग्लास पात्र	पेट पात्र
1	देशी मदिरा 40 यू.पी. शोधित प्राप्तव से निर्मित पब्ला की कीमत सहित	31.00	30.00
2	देशी मदिरा 50 यू.पी. शोधित प्राप्तव से निर्मित पब्ला की कीमत सहित	-	26.00

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बो)(1)आब/एल/2018-19/ 958

दिनांक 6.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन समस्त ।
5. जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन सहित) समस्त ।
6. अधीक्षक, राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 4 (ग) के उपखण्ड (1) में मुद्रित करवाकर 15 प्रति मय विल इस कार्यालय को भिजवाये।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
आबकारी भवन, 2, गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर - 313001

6/17

क्रमांक प.32(बी)(1)आब/एल/2018-19/ 975

दिनांक : 06.08.2018

:- अधिसूचना :-

देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के थोक विक्रय मूल्य का दिनांक 01.08.2018 से निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र. सं.	मदिरा की किस्म	बोतल (रु. प्रति पेटी)	अर्द्ध (रु. प्रति पेटी)	पक्वा (रु. प्रति पेटी)
1	40 यू.पी. (कॉच) (ई.एन.ए.प्रासव आधारित)	440.00	450.00	460.00
2	40 यू.पी. (पेट) (ई.एन.ए.प्रासव आधारित)	410.00	420.00	430.00
3	50 यू.पी. (कॉच/पेट) (ई.एन.ए.प्रासव आधारित)	388.00	398.00	408.00

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बी)(1)आब/एल/2018-19/ 975

दिनांक : 06.08.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 01.08.2018 के क्रम में।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 05.04.2018 के क्रम में।
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन समस्त ।
4. जिला आबकारी अधिकारी, समस्त (अभियोजन सहित)
5. समस्त यूनिट प्रभारी अधिकारी, मदिरालय, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उदयपुर।

9/c

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर